न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 66/2023 बउनवानी श्रीमति संतोष गर्ग बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार बौंली निवासी मकान नम्बर 185/89, प्रताप नगर जयपुर

GCMS No-2023/135

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
20.11.2023	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 22.8.2023 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः—

1. ख0न0 2107, 4845 मुख्य सड़क से कितनी दूरी पर स्थित है।
2. ख0न01423/1 का वर्ष,1995 का नक्शा जिसमे सड़क व खसरा एक साथ दिखाई देवे।
3. ख0न0 1423/1 को 8 खातेदारो मे विभाजित किया गया है इसमे ख0न0 4846 व 4847 मे दुकानो का निर्माण श्री राजेश गोयल द्वारा आपके आदेशो से हुआ है कृपया इस आदेश की प्रतिलिपि उपलब्ध करवाये जाने की कृपा करे। इस खसरे के वाणिज्यिक उपयोग मे आपके द्वारा बता रखा है।
4. ख0न0 2017 एवं 4845 पर दुकानोका निर्माण किया हुआ है यदि आपने अनुमति दी हो तो इसकी प्रतिलिपि उपलब्ध करवायी जावे। उक्त ख0न0 कन्वर्ट नही है ऐसा आपके द्वारा पूर्व में बताया गया है।
5. ख0न0 4846 व 4847 सड़क से कितनी दूरी पर है अवगत करवाने की कृपा करे।
6. ख0न0 1423/1 की लम्बाई व चौडाई क्या है इसकी सूचना भी उपलब्ध करावे।
7. आपके पत्र क्रमांक 40 दिनांक 31.7.2023 की प्रतिलिपि उपलब्ध करावे।
8. आपका पत्रांक 88 दिनांक 16.8.2023 भी प्रदान कराने की कृपा करे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ किन्तु सूचना उपलब्ध नही होने बाबत अपनी आपत्ति जरिये पत्र क्रमांक 88 दिनांक 3.11.2023 से न्यायालय को प्रेषित की गयी है। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली के जवाब नोटिस क्रमांक/सूकाअ/2023/235 दिनांक 20.11.2023 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 22.8.2023 के बिन्दु संख्या 1–8 एवं अपील प्रार्थना पत्र क्रमांक 79 दिनांक 29.9.2023 मे चाही गयी 5 बिन्दुओ की सूचनाओ मे भिन्नता है परन्तु न्यायहित में तहसीलदार बौली द्वारा अपील प्रार्थना पत्र 79 दिनांक 29.9.2023 के पांचों की बिन्दुओं की सूचना जरिये पत्रांक 235 दिनांक 20.11.2023 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 22.8.2023 के क्रम में प्रस्तुत अपील प्रा0पत्र क्रमांक 79 के बिन्दु संख्या 1 लगायत 5 मे चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही है एवं चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक है किन्तु फिर भी तहसीलदार बौंली द्वारा अपीलान्ट को बिन्दु संख्या 1,2 की सूचना उपलब्ध करवायी जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 3,4,5,6 के संबंध में अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपील खारिज की जाती है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट द्वारा एक से अधिक कथनों की एक ही अपील प्रस्तुत की जाती है जिसके कारण चाही गयी सूचनाओं की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है। अतः अपीलान्ट को सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में एक प्रार्थना पत्र के विरुद्ध एक ही अपील निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल अभिलेखागार की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:52:57 IST
Reason: Self Attested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner